समाहरणालय सहरसा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा

संभावित बाढ़ 2017 से निपटने एवं बचाव कार्य के लिये सहरसा जिले में पॉलीथीन सीटस की आवश्यकता है। पॉलीथीन सीटस क्रय हेतु DGS&D द्वारा निर्धारित दर पर आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद्र द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को मो0 20.000 (बीस हजार) रू0 अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, सहरसा कके नाम विकलनीय होगा । निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 29.|6|........2017 को अपराहन्न 2.00 बजे तक आपदा प्रबंधन शाखा सहरसा के कार्यालय कक्ष निबंधित डाक अथवा सीधे डाली जा सकती है। इसी दिन 4.00 बजे अपराहन् में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी, जिसमें स्वंय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति रह सकते है।

पॉलीथीन सीट्स का विवरण :–

क्रमांक	आकर	आपूर्ति किये जाने वाले समाग्री का नाम	गुणवत्ता	दर
1	2	3	4	5
1	4mx 5m	पॉलीथीन सीट्स	Low density polythene film Grade-030 मोटाई –250 Black Sheets	DGS&D निर्धारित दर के अनुरूप (सभी कर, अधिभार, शुल्क, परिवहन व्यय सहित)

निविदा की आवश्यक शर्तें :–

1. आपूर्तिकर्त्ता को पॉलीथीन सीट्स की आपूर्ति उपर दिए गए विवरण के आलोक में DGS&D द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नंबर/टीन नंबर/अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र /अनुभव प्रमाण –पत्र की छायाप्रति/काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ –पत्र मूल में संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंग ड्रफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. आपूरित पॉलीथीन सीट्स DGS&D द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहितए तथा ततसंबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र अलग से आपूर्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा रद्ध करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
7. निर्धारित तिथि एवं समय के बाढ निविदा, जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा ।
8. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
9. आपूर्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्टि गुणवत्ता, आकर एवं मात्रा में) की आपूर्ति आदेश का निर्गत होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर जिला आपदा प्रबुंधन शाखा, सहरसा (समाहरणालय, सहरसा) में करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्व आवश्यक विधि [illegible] कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही दण्ड राशि (Penalty) की भी कटौति की जायेगी।

D:\AAPDA 2015\ARVIND_JEE_2015\Nivida Polythin 2015.doc

10. आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम अथवा अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

11. आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

12. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, सहरसा के अधीन होगा। विशेष जानकारी आपदा प्रबंधन प्रशाखा, सहरसा जिला से अथवा वेबसाईट Saharsa.bih.inc.in से प्राप्त किया जा सकता है।

8.6.17

जिलाधिकारी

सहरसा।

ज्ञापांक 24-1/आ०प्र०, सहरसा, दिनांक 8/6/2017 ई०

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, बिहार, पटना को निविदा सूचना की छः प्रति एवं एक सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित। उनसे आग्रह है कि दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित की जाय।

8.6.17

जिलाधिकारी,

सहरसा।

ज्ञापांक 24-1/आ०प्र० दिनांक 8/6/2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

8.6.17

जिलाधिकारी,

सहरसा।